अनुबंध I-बी

जमा खातों में दावे के निपटान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री देना/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए आवेदन पत्र
(नामांकन या उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त खाते के अलावा अन्य मामले)

शाखा प्रबंधक दिनांक:

_____ बैंक

_____ शाखा

महोदया/ महोदय,

*** श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत/लापता ग्राहक का नाम)जमा खातों में शेष राशि के भुगतान /सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री देना/ द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए दावा**

मैं/हम _____ (दावेदार) एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत/लापता ग्राहक का नाम), जिनकी मृत्यु _____ को हो गई/_____ से लापता/ जिनका पता नहीं चल रहा है, द्वारा रखे गए *जमा खातों/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं के दावेदार हैं।

2. मैं/हम दिवंगत ग्राहक के बारे में आवश्यक जानकारी नीचे प्रस्तुत करता/करती हूँ/ करते हैं:

(ए) मृत्यु का दिनांक और स्थान _____

(बी) मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या _____ दिनांक _____ प्राधिकारी _____ (प्रति संलग्न) का विवरण। (सत्यापन के लिए मूल प्रस्तुत किया जाना है)

(सी) आयु (मृत्यु का दिनांक पर) : _____ वर्ष

(डी) वैवाहिक स्थिति (मृत्यु का दिनांक पर) : विवाहित / अविवाहित / विधवा(विधुर)

(ई) पता: _____

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

शहर/ जिला: _____ पिन: _____ राज्य: _____ देश: _____

(एफ) धर्म: _____

उल्लेख करें कि उत्तराधिकार का कौन सा कानून लागू होता है _____ (हिंदू, मुसलमान, आदि)

(जी) दिवंगत के उत्तराधिकारी(यों) का नाम, रिश्ता और आयु :

क्र. सं.	**नाम और पता**	**आयु**	**रिश्ता**	**मोबाइल नंबर और ईमेल पता**	**क्या अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं (हां/ नहीं)**
1					
2					
3					
4					

(एच) नाबालिग उत्तराधिकारी(यों) के मामले में, प्राकृतिक संरक्षक/ विधिक संरक्षक का विवरण:

क्र. सं.	**नाबालिग उत्तराधिकारी का नाम**	**जन्म का दिनांक**	**संरक्षक का नाम**	**नाबालिग के साथ संबंध**	**संरक्षक का पता**	**संरक्षक का मोबाइल नंबर और ईमेल पता**
1						
2						

3. मैं/हम, इसलिए, जमा खातों में उपार्जित ब्याज सहित शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री की निर्मुक्ति/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपना/अपना दावा प्रस्तुत करता/करती हूं/ करते हैं:

ए. जमा खाते

क्र. सं.	**जमाराशि की प्रकृति (एसबी/सीए/टीडी, आदि.)**	**खाता संख्या**	**राशि**	**परिपक्वता का दिनांक (टीडी के मामले में)**
1.				
2.				
3.				
4.				
कुल				

बी. सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _____ धारिता का तरीका: _____

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

सी. सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री रसीद संख्या _____

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

4.1 मैं/हम वचन देता/देती/देते हूँ/हैं कि

(i) मैं/हम उपर्युक्त राशि/भुगतान को वास्तविक लाभार्थी(यों) के न्यासी के रूप में प्रत्ययी क्षमता में धारण/प्राप्त करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा मेरे/हमारे साथ किया गया कोई भी निपटारा उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

(ii) उपर्युक्त *खाते/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुएं किसी विवाद का विषय नहीं हैं तथा मुझे/हमें दावा करने से या बैंक को मेरे/हमारे पक्ष में या अन्यथा दावे का निपटान करने से रोकने वाला कोई न्यायालय आदेश नहीं है।

(iii) मैं/हम बैंक को ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं और तदनुसार, दिवंगत ग्राहक द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में बैंक को देय बकाया राशि या बैंक को देय किसी अन्य देय राशि को, दिवंगत ग्राहक द्वारा उपर्युक्त खाते(खातों) में रखी गई शेष राशि से काटने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/ करते हैं।

(iv) इस अनुरोध पत्र के अनुसार दिवंगत के दावे के निपटान के संबंध में/ से उत्पन्न होने वाले किसी भी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि द्वारा किए गए किसी भी दावे, वाद, विधिक कार्यवाही के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करना तथा उसे हानिमुक्त रखना।

4.2 मैं/ हम घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि

(लागू विकल्प का चयन करें)

☐ जहां तक मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास है, दिवंगत द्वारा कोई वसीयत **नहीं** छोड़ी गई है।

☐ मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत वसीयत, दिवंगत द्वारा छोड़ी गई अंतिम वसीयत है तथा यह किसी विवाद का विषय नहीं है।

4.3 मैं/ हम उपर्युक्त दिवंगत की सुरक्षित अभिरक्षा की सामग्री/ सुरक्षित जमा लॉकर/ उपार्जित ब्याज सहित शेषराशि के लिए निम्नानुसार अपना दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ/ करते हैं:

(लागू विकल्प का चयन करें)

☐ स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का दिनांक _____ की वसीयत (प्रति संलग्न)। वसीयत का न तो प्रोबेट किया गया है और न ही इसके संबंध में कोई प्रशासन पत्र प्राप्त किया गया है।

☐ स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का दिनांक _____ की वसीयत और _____ स्थित _____ न्यायालय द्वारा दिनांक _____ के आदेश द्वारा प्रदत्त प्रोबेट (प्रति संलग्न)।

☐ _____ द्वारा _____ में जारी किया गया दिनांक _____ का प्रशासन पत्र संख्या _____ (प्रति संलग्न)।

☐ _____ स्थित _____ न्यायालय द्वारा दिनांक _____ के आदेश द्वारा प्रदान किया गया दिनांक _____ का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न)।

☐ _____ स्थित _____ के न्यायालय द्वारा जारी दिनांक _____ की न्यायालय डिक्री (प्रति संलग्न)।

☐ _____ द्वारा _____ में दिनांक _____ के आदेश द्वारा प्रदान किया गया उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न)।

☐ दिवंगत जमाकर्ता के उत्तराधिकारी(यों) के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति से घोषणापत्र/ शपथ पत्र (प्रति संलग्न)।

5.1 मैं/ हम बैंक से अनुरोध करता/करती हूँ/ करते हैं कि देय शेष राशि (आवश्यक समायोजन, सेट-ऑफ, यदि कोई हो, करने के बाद) नीचे दिए गए दावेदार(रों) के खाते में अंतरित कर दी जाए:

क्र. सं.	**दावेदार का नाम**	**बैंक का नाम और खाता संख्या**	**आईएफएससी**	**शाखा विवरण**
1				
2				
3				
4				

नाबालिग दावेदार(रों) के लिए, ऐसे दावेदार(रों) और उसके प्राकृतिक/ विधिक संरक्षक का नाम नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**नाबालिग दावेदार(रों) का नाम**	**जन्म दिनांक**	**संरक्षक का नाम**	**नाबालिग के साथ संबंध**
1				
2				

5.2 मैं/ हम बैंक से अनुरोध करता/करती हूँ/ करते हैं कि *सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री को निर्मुक्त

कर दिया जाए/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं को निम्नलिखित व्यक्तियों को लौटा दिया जाए:

क्र. सं.	**दावेदार का नाम**
1	
2	
3	
4	

6. मैंने/हमने अपने/ हमारे दावे के निपटान के प्रयोजन से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं (लागू दस्तावेज़ों का चयन करें):

☐ * मृत्यु प्रमाण पत्र (दिवंगत ग्राहक का)/ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट (लापता व्यक्ति के मामले में)

☐ दावा करने वाले दावेदार(रों) की पहचान और पते के समर्थन में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़।[1]

☐ वसीयत/ वसीयत का प्रोबेट

☐ प्रशासन पत्र

☐ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

☐ न्यायालय की डिक्री/ का आदेश

☐ उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र

☐ दिवंगत ग्राहक के उत्तराधिकारी(यों) के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति से घोषणापत्र/शपथ पत्र

☐ दावेदार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बांड

☐ तीसरे पक्षकार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिभू/ क्षतिपूर्ति बांड

☐ गैर-दावेदार उत्तराधिकारी(यों) से अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र

7. ऊपर उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

8. दावेदार(रों) का नाम और हस्ताक्षर, जो देय शेष राशि/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएं प्राप्त करेंगे:

[1] "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो।

क्र. सं.	दावेदार/ नाबालिग दावेदार के संरक्षक का नाम	हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान [2]
1		
2		
3		
4		

साक्षी का नाम और पता (दावेदार(रों) द्वारा अंगूठे का निशान लगाने की स्थिति में):

साक्षी के हस्ताक्षर:

*(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

टिप्पणी :1. _____ बैंक इस आवेदन में दिए गए पूर्ण विवरण के अभाव के कारण दावे के निपटान में होने वाली किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और यदि विधिक वारिसों के बीच विवाद हो और वे सभी बैंक को क्षतिपूर्ति देने में शामिल न हों या अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र न दें या जहाँ बैंक को केवल दावेदार(रों) के दिवंगत ग्राहक के वारिस होने की वास्तविकता पर उचित संदेह हो, तो बैंक विधिक दस्तावेज़ माँगने पर ज़ोर दे सकता है। ऐसे मामलों में बैंक दावेदार(रों) को विधिवत सूचित करेगा।

2. यदि बैंक को दिवंगत के विधिक वारिसों से एकाधिक दावे प्राप्त होते हैं या ऐसे मामले में जहां विधिक वारिसों के बीच आपसी विवाद हैं या कोई तीसरा पक्षकार दिवंगत की वसीयत प्रस्तुत करता है, तो बैंक तब तक दावे का निपटान नहीं करेगा जब तक कि संबंधित पक्षकार सक्षम न्यायालय से आदेश/ डिक्री या वसीयत का प्रोबेट (जो भी लागू हो) प्रस्तुत नहीं कर देता, तब तक दावे को रोक कर/ लंबित रखा जाएगा।

कार्यालय उपयोग के लिए

(बैंक द्वारा अपनी आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है)

[2] यदि दावेदार हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो वह बैंक के किसी ज्ञात गवाह की उपस्थिति में अंगूठे का निशान लगा सकता/ सकती है।